"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2011—भाद्र 3, शक 1933

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक 2962/2704/2011/38-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग (राजपत्रित) सेवा में संविदा नियुक्ति, 2010 के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

I. नियम-4 के उपनियम (दो) को विलोपित किया जाता है तथा उपनियम (एक) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है :—
नियम-4 (एक) नियम 3 के अंतर्गत घोषित पदों के रिक्त पदों पर आदेश में उल्लेखित कालावधि के लिए संविदा द्वारा भरे जावेंगे.

II. नियम-4 के उपनियम (तीन) (3) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—
मेरिट सूची तैयार किए जाने के लिए मेरिटं अंक अधिकतम 100 होंगे, इसके लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाया जायेगा :—

(i) (क) पी.एच.डी. तथा नेट/सेट के लिए — 50 मेरिट अंक
(ख) पी.एच.डी. के लिए — 30 मेरिट अंक
(ग) नेट/सेट के लिए — 20 मेरिट अंक

(ii) स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिए — 50 मेरिट अंक
(55% के लिए-5 मेरिट अंक तथा तत्पश्चात् 56 से 100 के बीच प्राप्तांकों के प्रत्येक प्रतिशत के लिए 1 मेरिट अंक दिया जावेगा)

III. नियम 5 के उपनियम (ख) को विलोपित किया जाता है.

IV. नियम 6 के उपनियम (2) के द्वितीय परन्तुक को विलोपित किया जाता है.

V. नियम 6 के उपनियम (2) के नोट (ख) को विलोपित किया जाता है.

VI नियम 8 के उपनियम (2) (ख) को विलोपित किया जाता है.

VII. नियम 12 के उपनियम (2) को विलोपित किया जाता है.

VIII. नियम 13 के उपनियम (ज) को विलोपित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. पी. किण्डो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्रमांक 2963/2704/2011/38-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2962/2704/2011/38-1 दिनांक 25-08-2011 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. पी. किण्डो, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 25th August 2011

NOTIFICATION

No. 2962/2704/2011/38-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh Uchch Shiksha (Samvida Sewa) Niyam, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rule,—

I. Sub rules (Two) of Rule 4 omitted and for sub-rule (one) of rule 4 be substituted as under :—

Rule 4-(One) Under rule 3, Contract appointments shall be made only against vacant posts of the sanctioned posts for a period mentioned in the order.

II. For (3) of sub-rule (Three) of rule 4 be substituted as under :—

Rule-4 (Three) (3) For preparation of merit list, there shall be maximum 100 merit marks, the following Criteria shall be adopted,

(i) (a) For Ph.D. and NET/SET — 50 merit marks
(b) For Ph. D. — 30 merit marks
(c) For Ph. D. and NET/SET — 20 merit marks

(ii) For marks obtained at Post-Graduate level — 50 merit marks
(For 55% marks - 5 merit marks, and thereafter, merit mark shall be awarded for every percent mark obtained between 56 to 100)

III. Sub-rule (b) of Rule 5 in omitted.

IV. The second proviso of sub-rule (2) of rule 6 is omitted.

V. Note (b) of sub-rule (2) of rule 6 in omitted

VI. Clause (b) of sub-rule (2) of rule 8 is omitted

VII. Sub-rule (2) of rule 12 is omitted.

VIII. Sub-rule (h) of rule 13 is omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
H. P. KINDO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.